झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :- JSNSM/NB/प्रशासनिक स्वीकृति-05/2014-75 राँची, दिनाँक :- 6.2.18

सेवा में,

❖ अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, डोरण्डा, राँची।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में विश्व बैंक सम्पोषित नीर निर्मल परियोजना सरायकेला जिला के पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, सरायकेला अन्तर्गत ईटागढ़ बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु रूपये 619.168 लाख (छः करोड़ उन्नीस लाख सोलह हजार आठ सौ) मात्र की प्राक्कलित राशि पर योजना एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2024–25 तक विश्व बैंक का अंशदान (भारत सरकार द्वारा प्रदत्त) 50%, रू0 309.58 लाख, भारत सरकार का अंशदान 30% रू0 185.75 लाख, राज्य सरकार का अंशदान 19% रू0 117.64 लाख एवं सामुदायिक अंशदान 1% रू0 6.19 लाख मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– स्वीकृत।

2. (i) **सरायकेला** जिला के पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, सरायकेला अन्तर्गत गम्हरिया प्रखंड के ईटागढ़, बसुरदा, कुलूडिह, तिरिलडिह, आमडिह, छोटा जामजोरा एवं बड़ा जामजोरा कुल 7 ग्रामों में पाईप जलापूर्ति की आवश्यकता के आलोक में खरकई **नदी** के जलस्त्रोत के आधार पर बहुग्रामीण जलापूर्ति के कार्यान्वयन हेतु ईन्टेक वेल, पम्प हाउस के साथ गैंगवे, जलशोध संस्थान, जलमीनार, राईजिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन मेन, यांत्रिक एवं विद्युत व्यवस्था, स्टाफ क्वार्टर, चहार दीवारी, 1164 अद्द गृह–संयोजन तथा पाँच वर्षो का संचालन एवं सम्पोषण के लिए रूपये **619.168 लाख (छः करोड़ उन्नीस लाख सोलह हजार आठ सौ)** मात्र की प्राक्कलित राशि पर मुख्य अभियंता (सी0डी0ओ0) द्वारा तकनीकी अनुमोदन दिनांक– 03.05..2016 को प्रदान किया गया है। Per Capita Cost रूपये 9564/– जो 2020 के अनुमानित जनसंख्या 6474 पर आधारित है। उक्त प्राक्कलन के आलोक में रूपये **619.168 लाख (छः करोड़ उन्नीस लाख सोलह हजार आठ सौ)** मात्र पर योजना एवं व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि का वित्तीय वर्षवार व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	व्यय की जाने वाली राशि (लाख में)	
1.	2017–18	75.00	**योजना निर्माण**
2.	2018–19	300.00	
3.	2019–20	128.076	
4.	2020–21	18.575	**संचालन एवं संपोषण**
5.	2021–22	20.897	
6.	2022–23	23.218	
7.	2023–24	25.540	

8.	2024–25	27.862	

कुल– 619.168 लाख (छः करोड़ उन्नीस लाख सोलह हजार आठ सौ)

(ii) कुल प्राक्कलित राशि के अन्तर्गत वित्तीय वर्षवार व्यय एवं प्रगति के आधार पर परिवर्तन किया जा सकेगा एवं राशि आवंटन किया जायेगा।

(iii) Source Sustainability के आधार पर Intake Well का निर्धारण कर, प्रगति देखकर ही WTP/ESR का कार्य प्राथमिकता से किया जायेगा। सबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, एवं अधीक्षण अभियंता के द्वारा कारो नदी के Source Sustainability से संबंधित Certificate दिया गया है।

(iv) पाईप लाईन को कंडिका III के निर्धारण के बाद किया जायेगा।

(v) पूरे योजना का स्थल आधारित Design/Drawing सक्षम स्तर से अनुमोदन कराकर ही कार्य को गति दिया जाय। निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन किया जायेगा।

(vi) वितरण Network को Loop System में Design किया जायेगा। ESR की Staging इत्यादि Proper की जायेगी ताकि राज्य की Topography के अनुरूप न्यूनतम Terminal Pressure एवं Water Distribution network प्रभावी रहें।

(vii) योजना का कलर एवं अन्य निर्देश विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र 1802 दिनांक– 09.10.2016 के अनुरूप रहेगा।

(viii) पाईप क्रय हेतु राशि देय नहीं होगा। पाईप लाईन कंडिका– (iii) के क्रम में Lay करने के अनुरूप ही भुगतान किया जायेगा।

(ix) PAD में प्रख्यापित मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में नई योजनाओं का कार्यान्वयन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प JSWSMS/WB/संकल्प/21/2015–351 दिनांक 11.05.2015 के अनुसार विश्व बैंक के अंशदान 50%, भारत सरकार का अंशदान 30 %, राज्य सरकार का अंशदान 19 % एवं सामुदायिक अंशदान 1% के अनुसार किया जायेगा।

(X) योजना के निर्माण हेतु संबंधित प्रमंडल द्वारा निविदा का आमंत्रण कर एजेंसी का चयन किया जायेगा। योजना का निर्माण पूर्ण होने के उपरांत 5 वर्षों तक योजना का रखरखाव एवं संचालन एजेंसी द्वारा किया जायेगा। एजेंसी द्वारा किये गये कार्यों के विरूद्ध राशि का भुगतान प्रमंडल के द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात् योजना को चालू स्थिति में MVWSC को हस्तांतरित की जायेगी।

3. (i) योजनान्तर्गत व्यय होने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, सरायकेला होंगे। योजना अन्तर्गत विश्व बैंक से स्वीकृत राशि (भारत सरकार द्वारा प्रदत्त), भारत सरकार का केन्द्रांश (NRDWP), राज्यांश (State) एवं सामुदायिक अंशदान की राशि की निकासी विश्व बैंक सम्पोषित ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना के अन्तर्गत परियोजना के लिए खोली गई बैंक खाते में जमा राशि से विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा।

(ii) कार्यों के सम्पादन हेतु राशि का हास्तांतरण राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई के SPMU Account – 33402646523 (IFSC Code-SBIN0000212) से DWSM (DPMU Account) Saraikela के खाता संख्या– 33838086062 (IFSC Code- SBIN0001092) में किया जायेगा।

4. योजना के निर्माण हेतु आवश्यक जमीन के सबंध में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, सरायकेला ने अपने पत्रांक WB/DPMU/545 दिनांक 7.9.2017 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सबंध में प्रतिवेदित किया गया है। जो निम्न प्रकार है।

क0	अवयव	भूखंड का	पंचायत/ग्राम	खाता	प्लॉट	अभियुक्ति।
1.	जल सयत्र एवं जलमीनार	1.72 एकड़	ईटागढ़/बासुरदा	125	389	सरकारी भूमि।

(i) उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति से भूखण्ड प्राप्त कर विधिवत हस्तान्तरण DWSD के नाम प्राप्त कर, अभिलेख में इसका संधारण पूर्व में निर्गत निर्देश के अनुरूप पंजी/Online रखा जायेगा।

(ii) भूखण्ड विधिवत हस्तान्तरण के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

5. (i) योजना कार्यान्वयन के क्रम में अन्तर्विभागीय समन्वयन तथा NOC/ सहमति प्रारंभ में ही प्राप्त किया जायेगा।

(ii) WRD से Water Source पर सहमति प्राप्त किया जायेगा।

(iii) बिजली कनेक्शन इत्यादि का कार्य संबंधित झारखण्ड विद्युत बितरण निगम द्वारा किया जायेगा। Intake Well/WTP/ESR Site सुनिश्चित कर, यह कार्य समन्वयन कर प्रारंभ किया जाय।

6. योजना कमांड क्षेत्र के सभी स्कूल/आंगनबाड़ी/सरकारी/निजी संस्था (सामुदायिक भवन/पंचायत भवन/अस्पताल) इत्यादि का पाईप वाटर आच्छादन अवश्य किया जायेगा। इसकी सूची प्रथम आवंटन के पूर्व स्पष्ट उपलब्ध कराया जाय जो प्रथम आवंटन का अंग रहेगा।

7. (i) सबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता योजना को Map कर Coverage देखेंगे तथा SBM(G) से Convergence करेंगे।

(ii) योजना का शिलान्यास/उद्घाटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अद्यतन निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(iii) योजना स्थल पर Details Boards लगाया जायेगा। योजना Map, WTP पर Display किया जायेगा।

(iv) सभी जन प्रतिनिधि (यथा MP/MLA/CP/प्रखण्ड/पंचायत) तथा प्रशासनिक पदाधिकारी (DC/DDC/ BDO/CO) को भी योजना की सूचना कार्यपालक अभियंता देंगे।

(v) विभाग के पत्रांक, दिनांक– 09.10.2016 से संसूचित कलर तथा साइज इत्यादि के अनुरूप ही कलर किया जायेगा।

8. (i) संबंधित अधीक्षण अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि कराये गए कार्यो का भौतिक सत्यापन कर संतुष्ट होने के उपरान्त कार्यपालक अभियंता से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

(ii) सबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इस आश्य का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देंगे कि किसी अन्य योजना की निधि से इस कार्य का न तो दोहरीकरण हुआ है, और न होगा।

(iii) योजना का लेखा संधारण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रस्तुतीकरण सबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता करेंगे तथा संबंधित अधीक्षण अभियंता स्वयं इसकी जॉच कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

9. (i) प्रस्तुत योजना का कार्यान्वयन PWD code एवं विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार एवं वर्णित विशिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा। यह कार्य e-tender/ SBD/World Bank Guidelines के अनुरूप Turnkey आधार पर किया जायेगा। House hold कनेक्शन शत–प्रतिशत पूर्ण होने पर ही योजना पूर्ण मानी जायेगी। विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देश प्रभावी होंगे।

(ii) Third Party Inspection हेतु विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या– 455(CDO), दिनांक– 22.06.2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) योजनाओं के समय बद्धता (Time of completion) हेतु निर्गत विभागीय आदेश संख्या– 197 दिनांक –05.09.2013 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) सबंधित परियोजना प्रबंधन, (DPMU) जल संयोजन, VWSC/MPWSC की बैठक करवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि योजना के पूर्ण होने के उपरान्त जनता को शत–प्रतिशत लाभ मिल सके। यह कार्य प्रारंभ से Contractor /JE/AE स्थल पर करेंगे। राज्य स्तरीय तथा स्थलीय प्रशिक्षण नियमित हों। तत्काल योजना Specific प्रारंभ किया जाय।

(v) गृह जल–संयोजन पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।

(vi) सबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता नियमित Site भ्रमण करेंगे तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

(vii) सबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (सिविल/मेकेनिकल) आपसी समन्वयन कर विभागीय निर्देशों का अनुपालन एवं आपसी कार्यो का कार्यान्वयन एवं मोनेटरिंग सुनिश्चित करेंगे।

(viii) मासिक बैठक संयुक्त रूप से दोनों SE/EE Contractor के साथ/VWSC के साथ करें तथा Pert Chart के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करायेंगे।

10. (i) बहु–पंचायत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए विभागीय पत्रांक– 08/ NRDWP- 43/2013-4003, दिनांक– 20.09.2013 द्वारा निर्गत निदेशों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देश का शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) MVWSC द्वारा प्रति कनेक्शन रूपये सामान्य जाति के लिए रू0 450 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रू0 225 अनुशंसा के क्रम में निर्धारित किया जाता है।

11. (i) बहु–पंचायत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए विभागीय पत्रांक– 08/ NRDWP- 43/2013-4003, दिनांक– 20.09.2013 द्वारा निर्गत निदेशों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देश का शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) Per house hold मासिक O&M Cost meet करने के लिए तय किया जायेगा। बहुग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (MVWSC) Per house hold मासिक न्यूनतम रू0 62 प्रति कनेक्शन संग्रह करेगा।

(iii) प्रथम आवंटन के समय आच्छादित स्कूल/आंगनबाड़ी/सामुदायिक संस्थान की सूची प्राप्त कर उसे आवंटन के साथ निर्गत हो। यह कार्यादेश का अंग रहेगा।

12. योजना का व्योरा www.indiawater.gov.in पर update करना सुनिश्चित किया जाएगा।

13. इस योजना पर दिनांक 31.01.2014 को सम्पन्न SLSSC की बैठक में अनुमोदन प्राप्त है।

14. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. **यह आवंटनादेश नहीं है, इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जाएगा।**

5.2.18

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 75 राँची, दिनांक :– 6.2.18

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित माननीय सांसद और माननीय विधायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. प्रमण्डलीय आयुक्त, कोलहान/उपायुक्त, **सरायकेला** को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

3. सचिव के आप्त सचिव/परियोजना निदेशक, नीर निर्मल परियोजना/अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता (मु0)/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची/मुख्य अभियंता (पी0एम0यू0)/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियंता, चाईबासा अंचल/अधीक्षण अभियंता (यो0)/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, **सरायकेला**/राज्य समन्वयक (NIC/IT M&E) SPMU को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी– 7/संबंधित कार्यवाहक सहायक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

5.2.18

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।